

कार्यालय नगर पालिका परिषद महासमुन्द (छ.ग.)

Phone- 07723-224985, Fax - 07723-223787

E-Mail ID - appmahasamund@gmail.com

क्रमांक/ 2840 /न.पा./लो.नि./2022-23

महासमुन्द दिनांक 31/03/23



प्रारूप-नौ

(नियम 11)

कॉलोनी के विकास की अनुमति

अनुमति क्रमांक 05

छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 / छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन तथा शर्तें) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए श्री / मेसर्स अरिहंत राईस मिल पार्टनर श्री शैलेन्द्र पीचा आत्मज श्री जीतमल पीचा / निवासी महासमुन्द मोहल्ला पं. रविशंकर शुल्क वार्ड / वार्ड 20 नगर महासमुन्द तहसील महासमुन्द, जिला महासमुन्द का खसरा क्रमांक 15010 कुल रकबा 18004.85 वर्गमीटर शहर महासमुन्द में स्थित आवासीय कॉलानी अरिहंत राईल मिल में विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- 01- शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
- 02- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
- 03- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
- 04- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूखंडों/भवनों का विकास /निर्माण, प्रथमतः करना होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद महासमुन्द